न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
75/2024	11.6.2024	30/7/2025

भौरीलाल पुत्र हीरालाल, बैरवा निवासी बाढखुर्द तह0 गंगापुर सिटी——वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र बदरी
2. गुड्डी | पुत्रीयान बदरी | जाति बैरवा
3. रूकमणी | निवासी बाढकलां
4. शांति | तहसील गंगापुर सिटी
5. मंगल | पुत्रान नोल्या
6. रामस्वरूप
7. कैलाश | पुत्रान टूण्डा
8. कमलेश
9. कल्लू
10. गुड्डी पुत्री टूण्डा पत्नि नामालुम जाति बैरवा निवासी मौरी की झोंपडी तहसील सपोटरा
11. प्रहलाद पुत्र कानजी
12. रामकन्या बेबा कानजी | जाति मीना निवासी ग्राम टोकसी
13. मिथलेश पुत्री कानजी | तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
14. प्रियंका बैरवा पत्नि चेतनलाल, बैरवा निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर।
15. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुरसिटी ——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री वृद्धिचन्द शर्मा, एडवोकेट, प्रति0 नं0 1, 5, 6 की ओरसे

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी हाल ख0नं0 21 रकबा 0.60 हैक्टर, ख0नं0 22 रकबा 0.50 हैक्टर ग्राम बाढखुर्द तहसील गांगपुर सिटी वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 14 की संयुक्त कब्जे काश्त, खातेदारी की भूमि है। इस भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 प्रत्येक का 1/32, 1/ हिस्सा, प्रतिवादी सं0 5 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 5 व 6 प्रत्येक का

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:45:34 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

1/8–1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 7 लगायत 13 का संयुक्त रूप से 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 14 का 19/48 हिस्सा हैं तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि से लाभावित होते चले आ रहे है। खातेदार दूण्डा पुत्र गोल्या व उसका पुत्र कानजी फौत हो चुका है। जिसके वारिस प्रतिवादी सं0 7 लगायत 13 हैं। पिछले कुछ समय में पक्षकरान में भूमि के शामलाती होने के कारण तथा रिकार्ड में मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन नही होने के कारण विवाद उत्पन्न होने लग गया। जिस पर वादी ने प्रतिवादी सं0 1 लगायत 8 से दिनांक 18.04.2024 को कहा कि हम सभी पक्षकारान में भूमि के विभाजन को लेकर विवाद हैं, इसलिये तहसील में चलकर भूमि का सहमति से बंटवारा करवा लेते है। इस पर प्रतिवादीगण ने सहमति से विभाजन के लिये इन्कार कर दिया। इसलिये वादी को यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादकारण दिनांक 18.04.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा भूमि को सहमति से विभाजन से इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि विवादित भूमि हाल ख0नं0 21 रकबा 0.60 हैक्टर, ख0नं0 22 रकबा 0.50 हैक्टर वाके ग्राम बाढखुर्द तहसील गंगापुरसिटी का विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर मौके पर कब्जे अनुसार किया जाकर वादी के हिस्से 1/6 का खाता पृथक से कायम किया जावे। आवश्यकता हो तो पृथक खसरा नम्बर,लगान सरकार अलग से कायम किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे विवादित भूमि में वादी को उसके हिस्से 1/6 के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें न ही किसी अन्य से करावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 5, 6 के अतिरिक्त अन्य सभी प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए हैं इसलिए इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1, 5, 6 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि दावे का मद नं0 1 स्वीकार है। दावे का मद नं0 2 में वादी का 1/6 हिस्सा होना, गोपाल, गुड्डी, रुकमणी, शान्ती [illegible] 2 हिस्सा होना तथा मंगल का 1/8 हिस्सा होना, रामस्वरूप [illegible] तथा प्रियंका का 19/48 हिस्सा होना दूण्डा [illegible] होना स्वीकार है, शेष इबारत स्वीकार नही है। जबाब दावे के विशेष वि[illegible] में अंकित किया है कि वादी तथा प्रतिवादीगण ने मौके पर अपना–अपना हिस्सा आपसी सहमति से,

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:34 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

रजामन्दी से विभाजित कर रखा है जिस पर उभय पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काश्त करते हैं। प्रतिवादी मंगल, रामस्वरूप, गोपाल का हिस्सा शुरू से ही सड़क के पास है। वादी ने गलत तथ्यों पर दावा पेश किया है। अतः जबाव दावा पेश कर निवेदन है कि न्यायहित में मंगल, रामस्वरूप, गोपाल को अपने हिस्से की भूमि के अनुसार बंटवारे किये जावें तथा वादी का दावा खारिज फरमाने की कृपा करें।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 39 ग्राम बाढखुर्द प्रस्तुत की है।

जबाब दावा के समर्थन में प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण ने प्रस्तुत मामले में कोई साक्ष्य नहीं करवा कर दावे में पक्षकारों के नाम दर्ज भूमि की मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन स्कीम मंगवाने का निवेदन किया है।

विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर दि0 3.3.2025 को वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

दिनांक 11.7.2025 को तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्र क्रमांक विभाजन स्कीम/2025/91 दिनांक 3.7.2025 के साथ विभाजन स्कीम प्राप्त हुई।

विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम पर सहमत हैं एवं इसके अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन करने हेतु इन्होने अनुरोध किया है। अतः तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:–

1. भौरीलाल पुत्र हीरालाल जाति बैर[illegible] निवासी बाढखुर्द तहसील गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि [illegible] में से 0.1833 है0 ग्राम बाढखुर्द तहसील गंगापुर सिटी रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:30 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

भौरीलाल बनाम गोपाल वगैरा, दावा

2. ग्राम बाढखुर्द तहसील गंगापुर सिटी की भूमि ख0नं0 21 के शेष रकवा 0.4167 है0 व ख0नं0 22 रकबा 0.50 है0 कुल रकबा 0.9167 है0 में निम्न पक्षकारों के नाम भूमि खातेदारी में रहेगी–

1. गुड्डी पुत्री बद्री, बैरवा निवासी बाढकलां हिस्सा 344/9167
2. गोपाल पुत्र बद्री बैरवा निवासी बाढकलां हिस्सा 344/9167
3. टून्डा पुत्र नोल्या बैरवा निवासी बाढकलां हिस्सा 687/9167
4. प्रियंका बैरवा पत्नि चेतनलाल निवासी वजीरपुर हिस्सा 4354/9167
5. मंगल पुत्र नोल्या बैरवा निवासी बाढकलां हिस्सा 1375/9167
6. रूकमणी पुत्री बद्री बैरवा निवासी बाढकलां हिस्सा 344/9167
7. रामस्वरूप पुत्र नोल्या बैरवा निवासी बाढकलां हिस्सा 1375/9167
8. शान्ति पुत्री बद्री बैरवा निवासी बाढकलां हिस्सा 344/9167

उपरोक्तानुसार पक्षकारों के नाम पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावे एवं राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (स0मा0) गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:34 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई (ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी) (Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

भौरीलाल पुत्र हीरालाल, बैरवा निवासी बाढखुर्द तह0 गंगापुर सिटी——वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र बदरी
2. गुड्डी — पुत्रीयान बदरी — जाति बैरवा
3. रूकमणी — निवासी बाढकलां
4. शांति — तहसील गंगापुर सिटी
5. मंगल — पुत्रान नोल्या
6. रामस्वरूप
7. कैलाश — पुत्रान टूण्डा
8. कमलेश
9. कल्लू
10. गुड्डी पुत्री टूण्डा पत्नि नामालुम जाति बैरवा निवासी मौरी की झोंपडी तहसील सपोटरा
11. प्रहलाद पुत्र कानजी
12. रामकन्या बेबा कानजी — जाति मीना निवासी ग्राम टोकसी
13. मिथलेश पुत्री कानजी — तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
14. प्रियंका बैरवा पत्नि चेतनलाल, बैरवा निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर।
15. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुरसिटी ——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —75/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री वृद्धिचन्द शर्मा, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:-

1. भौरीलाल पुत्र हीरालाल, जाति बैरवा, निवासी बाढखुर्द तहसील गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि ख0नं0 21 रकबा .06 है0 में से 0.1833 है0 ग्राम बाढखुर्द तहसील गंगापुर सिटी रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:45:34 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

2. ग्राम बाढखुर्द तहसील गंगापुर सिटी की भूमि ख0नं0 21 के शेष रकबा 0.4167 है0 व ख0नं0 22 रकबा 0.50 है0 कुल रकबा 0.9167 है0 में निम्न पक्षकारों के नाम भूमि खातेदारी में रहेगी–

1. गुड्डी पुत्री बद्री, बैरवा निवासी बाढकलां हिस्सा 344/9167
2. गोपाल पुत्र बद्री बैरवा निवासी बाढकलां हिस्सा 344/9167
3. दून्डा पुत्र नोल्या बैरवा निवासी बाढकलां हिस्सा 687/9167
4. प्रियंका बैरवा पत्नि चेतनलाल निवासी वजीरपुर हिस्सा 4354/9167
5. मंगल पुत्र नोल्या बैरवा निवासी बाढकलां हिस्सा 1375/9167
6. रूकमणी पुत्री बद्री बैरवा निवासी बाढकलां हिस्सा 344/9167
7. रामस्वरूप पुत्र नोल्या बैरवा निवासी बाढकलां हिस्सा 1375/9167
8. शान्ति पुत्री बद्री बैरवा निवासी बाढकलां हिस्सा 344/9167

उपरोक्तानुसार पक्षकारों के नाम पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावे एवं राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/7/25 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.05 10:25:34 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)